न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :– 72/2019

1. हरबंश कौर पुत्री अमीचन्द पत्नि रामलाल जाति महाजन निवासी गुरूद्वारा के पास कोटा जंक्शन जिला कोटा राज0

–वादी

बनाम

1. उषा पत्नि अनिल कुमार
2. गार्गी पुत्री चरण सिंह
3. डीलीट सीतादेवी पत्नि चरण सिंह जातियान जटसिख निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
4. एस.बी.बी.जे. शाखा के0 पाटन वर्तमान नाम एस.बी.आई. शाखा के0 पाटन जिला बून्दी राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0

– प्रतिवादीगण

वाद :– अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, विभाजन भूमि अन्तर्गत धारा 88,89,188, व धारा 53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :–

1. वादीनी की और से श्री चेतराम नागर, एडवोकेट
2. प्रतिवादीगण की और से श्री राधेश्याम बजाज, एडवोकेट।

–: निर्णय :–

दिनांक –18.11.2019

1. वादीनी के द्वारा दिनांक 13.05.2019 को वाद अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खाता सं0 9 पुराना 8 के खसरा संख्या 2849 रकबा 1.18 है0, खसरा संख्या 2861 रकबा 6.17 है0 कुल

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

किता 2 कुल रकबा 7.35 है0 वाके माल के0पाटन तहसील के0पाटन मे विरिथत है। चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 419 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 336 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 436 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 439 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 439 रकबा 4 बीघा 19 बिंस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 42 बीघा 18 बिस्वा वाके माल के0पाटन तहसील के0पाटन मे विरिथत है। चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 123 के खसरा संख्या 418 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या खसरा संख्या 439 रकबा 21 बीघा 1 बिंस्वा, खसरा संख्या 539 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 438 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 439 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 50 बीघा 06 बिस्वा वाके माल के0पाटन तहसील के0पाटन में विरिथत है। चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 1273 के खसरा संख्या 1285 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 1304 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1305 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 1308 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा वाके माल के0पाटन तहसील के0पाटन में विरिथत है। चरण संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि भू प्रबन्धक सेटलमेन्ट खाता नं0 189 पुराना 414 के खसरा संख्या 1962 रकबा 1.10 है0, खसरा संख्या 2003 रकबा 2.34 है0, खसरा संख्या 2006 रकबा 1.03 है0, खसरा संख्या 2014 रकबा 1.50, खसरा संख्या 2015 रकबा 1.81 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.78 है0 वाके माल के0पाटन तहसील के0पाटन मे विरिथत है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 में वर्णित कृषि भूमियां वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पेत्रिक कृषि भूमियां है। जिसमें वादीनी व प्रतिवादीगण जन्म से ही सहखातेदार है। मूल पुरूष अमीचंद आ0 लध्धा सिंह पूर्व में यह जमीन अमीचन्द आ0 लध्धा सिंह के खाते की थी। उनकी मृत्यु के बाद वादपत्र में वर्णित कृषि भूमियां विरासतन चरण सिंह आ0 अमीचंद के नाम आ गई व चरण सिंह की मृत्यु के बाद यह भूमि उसके उत्तराधिकारी जो वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है के नाम आ गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों में अमीचंद जी की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उषा के ससूर, प्रतिवादी संख्या 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति चरण सिंह के 1/2, 1/2 नामांतकरण खुलकर आनी चाहिये थी चूंकि वादीनी की शादी हो चुकी थी

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

ओर वह अपने ससुराल चली गई व उसके पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण व चरण सिंह द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके गलत तथ्यों तथा यह तथ्य छिपा लिया कि चरण सिंह के एक पुत्री भी है और अवैध तरीके से जमीन को अपने नाम करवा लिया जबकि उन्हे ऐसा करने का उन्हे कोई अधिकार नही था। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को अपने हिस्से की भूमि को हर साल ज्वारा काश्त पर देती आ रही है ओर इस वर्ष ज्वारा काश्त की राशि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 से मांगी तो देने से मना कर दिया और कहा की जमीन तेरे खाते में नही है जमीन हमारे खाते अंकित है। जब इस प्रकार की जानकारी प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी को दी तो वादीनी ने पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने मिलीभगत कर अपने नाम अंकित करवा लिया है। दिनांक 25.04.2019 को वादीनी जब प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 के पास अपने हिस्से की भूमि की ज्वारा काश्त की राशि अदा नही की और धमकी दी की दुबारा यहां ज्वारा राशि मांगने या खेत पर आयी तो जान से ही मार देगें। यही वादकारण है जो जैरकार है।

3. वादीनी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीनी के वादपत्र का जवाब पेश किया तथा वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से दिनांक 13.11.2019 को आपसी सहमति का राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की मृत्यु हो जाने एवं पहले से ही उसके वारीसान रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के रूप में होने से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम डीलीट किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. वादीनी वकील ने साक्ष्य में हरबंश कौर व भगत सिंह के शपथ पत्र पेश किये।
5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13.11.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा के आधार पर वादीनी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीनी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। कृषि भूमि खसरा सं. 2861 रकबा 6.17 है0 में से 2.62 है0 पश्चिम

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

दिशा की वाके ग्राम के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादीनी हरबंश कौर पुत्री अमीचन्द पत्नि रामलाल जाति महाजन निवासी गुरूद्वारा के पास कोटा जंक्शन जिला कोटा राज0 के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 2861 रकबा 6.17 है0 में से 3.55 है0 पूर्व दिशा, ख.सं. 2849 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः उषा महाजन व गार्गी के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन हो तो बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
के० पाटन

18/11/19
(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

हरबंश कौर V/S उषा वगै0

वाद– अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 72/2019

वादीनी की ओर से श्री चेतराम नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री राधेश्याम बजाज की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18.11.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादीनी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। कृषि भूमि खसरा सं. 2861 रकबा 6.17 है0 में से 2.62 है0 पश्चिम दिशा की वाके ग्राम के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादीनी हरबंश कौर पुत्री अमीचन्द पत्नि रामलाल जाति महाजन निवासी गुरूद्वारा के पास कोटा जंक्शन जिला कोटा राज0 के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 2861 रकबा 6.17 है0 में से 3.55 है0 पूर्व दिशा, ख.सं. 2849 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, प्रतिवादी सं. 1 व 2 कमशः उषा महाजन व गार्गी के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन हो तो बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे।"

नीज ....ग.................. मुबलिक ....ग.................. बाबत ....ग..............
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व रह ....ग.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग.................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.11.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

18/11/19
(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.12.10 12:52:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: